नई शिक्षा नीति – 2016

डॉ0 आशा कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
महाराज बलवंत सिंह पी0जी0 कॉलेज, गंगापुर (राजातालाब) वाराणसी

उच्च शिक्षा – शैक्षणिक पिरामिड

देश की शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने कार्यक्रमों तथा संस्थाओं के सुधार के लिए अनेक प्रयोग हुए शिक्षा मानव संसाधन के विकास का सार है।[1] भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली जिसमें तकनीकी शिक्षा शामिल है, अमेरिका और चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। यह भविष्य के लिए ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।[2] उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी आश्वासन से आज नीतिगत कार्यसूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा में ऐसे स्नातक तैयार करने की आवश्यकता है जो नये कौशल से युक्त हों, जिनका ज्ञान आधार व्यापक हो और जिन्हें कई प्रकार की दक्षता हासिल हो, ताकि वे और अधिक जटिल तथा परस्पर–आश्रित दुनिया में अपने कदम जमा सके।[3] नई शिक्षा नीति 2016 कोई नया प्रयत्न नहीं है। ऐसे प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा बाद में संशोधित 1992 का लक्ष्य तय हुआ था। यह तय किया गया कि तकनीकी के क्षेत्र में कदम उठाकर भारतीयों के लिए अवसर मुहैया कराकर अन्तर क्षेत्रीय गतिशीलता लाना था। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) ने 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAAC (एन0ए0ए0सी0) का गठन किया था और कार्यक्रमों तथा संस्थानों को मान्यता देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTTE) ने 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन0बी0ए0) की स्थापना की थी। NAAC संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है और सात मानदंडों के आधार पर संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता के लिए प्रमाणित करती है। फ्रेमस्ट्रक्चर उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता की कमी सुधारने के लिए आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) आई0क्यू0ए0सी0 की स्थापना की।[4]

गुणवत्ता एक बहु–आयामी अवधारणा है और व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्तर पर गुणवत्ता संबंधी आश्वासन और प्रबंधन के लिए अनेक तंत्रों की आवश्यकता है। गुणवत्ता बनाये रखना तथा इसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए मजबूत नियामक तंत्र वाली जवाबदेही और प्रत्यायन प्रणालियाँ आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और निर्धारण करना केन्द्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है।

सरकार नई शिक्षा नीति मसौदे के प्रमुख बिन्दु जारीं शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने को कहा है और पांचवीं कक्षा के बाद के छात्र फेल होंगे। उच्च शिक्षा में एक शिक्षा आयोग के गठन का जिक्र किया गया है, जिसमें शैक्षणिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह आयोग पांच साल पर गठित होगा। इसका कार्य ज्ञान के नये क्षेत्रों के पहचान बनाने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद करेगा। आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के प्रति व्यापक राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 12.1.C के सरकारी शिक्षा प्राप्त (धार्मिक एवं भाषायी) संस्थाओं तक विस्तार के परीक्षण। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना।

शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने को बढ़ावा दी जाए और भारतीय संस्थायें भी विदेशों में अपने कैम्पस स्थापित करें। जरूरत पड़ी तो कानून उचित बनाये जाएंगे या कानूनों में संशोधन किया जायेगा। पूर्व कैबिनट सचिव टी0एस0आर0 सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में एक नई शिक्षा नीति तैयार कर उसकी रिपोर्ट दी। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों में साझा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किये जायें और अन्य विषयों के लिए जैसे सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक हिस्सा पूरे देश में एक जैसा रहेगा और बाकी हिस्सा राज्य तय करेगी।

संस्थानों की स्वायत्ता नियामक काम–काज के लिए अनुदानों और भुगतान के लिए एकल बिन्दू अनुमति, वैश्विक गुणवत्ता वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन की स्वायत्ता, कॉलेजों को डिग्री देने का अधिकार और स्वायत्त दर्जा प्रदान करके भी कर ली जाएगी। एक फ्रेमवर्क के जरिए पाठ्यक्रम में एकरूपता है

सभी संस्थानों ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) अपनाई है। राज्य विश्वविद्यालय और उनसे सम्बद्ध कॉलेज, जिनके 90 प्रतिशत से अधिक नामांकित है निधियों की कमी और खराब गुण्वत्ता के परिणामस्वरूप गंभीर समस्याओं से जुझा रही। केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता दी गई।

शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित सभी विवादों पर शैक्षिक न्यायाधिकरण बनाने की आवश्यकता है।

1. शासन स्तर से गुणवत्ता में बदलाव
2. संस्थान की रैंक और मूल्यांकन
3. शैक्षणिक नियमों में सुधार
4. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका निर्धारित करना
5. स्किल डेवलपमेंट के लिए एकीकृत योजना
6. दूरस्थ और ऑनलाइन को बढ़ावा देना
7. तकनीकी विकास के लिए संभावनाएं
8. क्षेत्रीय असमानता को दूर करना
9. लैंगिक और सामाजिक अंतरालों को पाटना
10. उच्च शिक्षा को समाज से जोड़ना
11. अच्छे शिक्षक तैयार करना
12. छात्रों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना
13. भाषा के जरिये देश की संस्कृति को बढावा देना
14. निजी सेक्टरों की भागीदारी बढ़ाना
15. उच्च शिक्षा का अनुदान बढाना
16. उच्च शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना
17. रोजगार के लिए इंडस्ट्री से सीधा जुड़ाव
18. तकनीक और शोध को बढ़ावा देना
19. नई शिक्षा विकसित करना
20. इंडो–एशियन न्यूज सर्विस

गुणवत्ता के लिए अभिशासन में सुधार

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी आश्वासन को आज नीतिगत कार्यसूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा में ऐसे स्नातक तैयार करने की आवश्यकता है, जो नए कौशल से युक्त हों, जिनका ज्ञान आधार व्यापक हो और जिन्हें कई प्रकार की दक्षता हासिल हो ताकि वे और अधिक जटिल तथा परस्पर–आश्रित दुनिया में अपने कदम जमा सकें। गुणवत्ता एक बहुआयामी अवधारणा है और व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्तर पर गुणवत्ता संबंधी आश्वासन और प्रबंधन के लिए अनेक तंत्रों की आवश्यकता है। गुणवत्ता बनाए रखने तथा इसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए मजबूत नियामक तंत्र वाली जवाबदेही और प्रत्यायन प्रणालियां अत्यावश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा बाद में संशोधित 1992 का लक्ष्य विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाकर भारतीयों के लिए अवसर मुहैया कराकर अन्तर क्षेत्रीय गतिशीलता लाना था। यू0जी0सी0 ने 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAAC (एन0ए0ए0सी0) का गठन किया था और कार्यक्रमों तथा संस्थानों को मान्यता देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTTE) ने 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन0बी0ए0) की स्थापना की थी। NAAC संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है और सात मानदंडों के आधार पर संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता के लिए प्रमाणित करती है।

- संस्थानों की स्वायत्ता नियामक काम–काज को फिर से इस तरह सुयोजित करना कि संस्थाओं की स्वायत्ता को बढ़ावा मिलै। एकल बिन्दू अनुमति, वैश्विक गुणवत्ता वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन की स्वायत्ता, कॉलेजों को डिग्री देने का अधिकार और स्वायत्त दर्जा प्रदान करके भी कर ली जाएगी।
- एक फ्रेमवर्क के जरिए पाठ्यक्रम में एकरूपता है सभी संस्थानों ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) अपनाई है।

- प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की बहुलता के मुद्दे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और एकल राष्ट्रीय परीक्षण की संभावना तलाशी जाय। क्या इस प्रयोजनार्थ हमारे पास नेशनल टैस्टिंग सर्विस हो सकती है, जिसे परामर्शों और वाद–विवाद के जरिए विकसित किया जा सके?
- सहयोग बढ़ाकर शिक्षा के उचित विनियमन और अन्तर्राष्ट्रीयकरण के लिए भारत में विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को अनुमति देना।
- यू0जी0सी0 वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक निधियां पहुंचाने का मुख्य साधन है।
- राज्य विश्वविद्यालय और उनसे सम्बद्ध कॉलेज, जिनके 90 प्रतिशत से अधिक नामांकित है निधियों की कमी और खराब गुण्वत्ता के परिणामस्वरूप गंभीर समस्याओं से जुझा रही।
- केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता दी गई।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित सभी विवादों पर शैक्षिक न्यायाधिकरण बनाने की आवश्यकता है।
- कदाचारों का निषेध और रोकथाम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दाखिला प्रक्रिया में केवल योग्यता की ही अहम भूमिका हो। कैपिटेशन फीस और भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्यवाही की जाय।

संस्थाओं की रैंकिंग और प्रत्यायन

अधिकांश शीर्ष रैंकिंग वाली संस्थाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यू0के0 में अवस्थित है। केवल 140 विद्यालयों (यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त 164 में से) ने अपने को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा प्रत्यायित कराया है और उनमें से केवल 32 प्रतिशत को ए ग्रेड अथवा इससे अधिक के दर्जे में रखा गया है।

एनएएसी द्वारा 4,870 कॉलेजों में से कुल 2,780 कॉलेजों को प्रत्यायित किया गया है और इनमें से केवल 9 प्रतिशत को ए अथवा इससे अधिक दर्जे में रखा गया है। लेकिन इस विस्तार में ज्यादातर शेयर निजी संस्थाओं का है।

विनियमन की गुणवत्ता में सुधार लाना :–

उच्चतर शिक्षा संबंधी प्रथम आयोग (1948 में राधाकृष्णन आयोग) के समय ही विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और इनके अभिशासन और प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए ठोस तर्क दिये जाते रहे हैं। विश्वविद्यालय "दखल से मुक्त" एक स्व–विनियामक संस्थाओं की तरह रहेंगी और यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों का स्वैच्छिक रूप से अनुपालन करेंगी।

जैसे–जैसे हम एक विशिष्ट ढांचे से एक जन–साधारण ढांचे की ओर अग्रसर होते हैं, हम निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में तीव्र वृद्धि पाते हैं। इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समुचित अवसंरचना और संकाय संख्या का अभाव है और शैक्षणिक स्तर खराब है और ये विद्यार्थियों से अत्यधिक शुल्क लेते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए निजी संस्थाएं, गुणवत्ता, समता और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध रहें, विनियामकों के माध्यम से कदम उठाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क को पुनः तैयार करने की आवश्यकता है ताकि : (1) उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु नव–परिवर्तन लाने और उपलब्ध कराने के लिए परोपकार के इरादे से निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके। (2) जनता को निजी संस्थाओं के संबंध में सूचना की बेहतर उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा सके; (3) यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन संस्थाओं पर तुरन्त कार्यवाही की जाए जो अनुचित कार्यों में लिप्त हैं। प्रत्यायन की पद्धति ऐसे सुधारों के लिए महत्वपूर्ण होगी और इसे समयबद्ध रूप से पारदर्शी और कार्यशील बनाए जाने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ में 2005 का निर्णय जिसमें 117 निजी विशविविद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वे यू0जी0सी0 द्वारा 2003 में निर्धारित किए गये विनियामकों का अनुपालन नहीं कर रहे थे, जैसे मामले भी हुए हैं। हाल हीं में व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण के बाद 41 समवत् विश्वविद्यालयों का समवत् दर्जा वापस ले लिया गया था क्योंकि उनमें उन अवसंरचना सुविधाओं की कमी थी जो गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित होती है।

केन्द्रीय संस्थाओं की गति निर्धारक भूमिकाएं :–

केन्द्रीय संस्थाओं/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं में एक प्रमुख संस्था के रूप में जाना जाता है। सबसे स्पष्ट भूमिका जो उन्हें निभानी होती है वह अनुसंधान और उच्च कौशल प्राप्त कार्मिकों को तैयार करने की है ताकि उत्पादन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। चुनौती उच्च शिक्षा संस्थाओं में सार्वभौमिक चरित्र के निर्माण की है। यद्यपि इसपर पर्याप्त चर्चा होती है तथापि विविध संस्थाओं में नेटवर्क की पूर्ति न होना और संसाधनों की कमी के वावजूद शिक्षा में राष्ट्रीय परियोजना को संभव और सुगम नहीं बनाया जा सका है।[5]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शैक्षिक पोषक की भूमिका निभानी चाहिए, जो उस श्रेणी के युवा उद्दीयमान शिक्षा–शास्त्रियों और वैज्ञानिकों का विकास और निर्माण करेंगे, जिनकी अत्यधिक मांग है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने आगम क्षेत्र में तीन विभिन्न स्तरों : (क) कनिष्ठ शैक्षणिक इनक्युबरेटर्स (ख) वरिष्ठ शैक्षणिक इनक्युबरेटर्स और (ग) उच्चतर शैक्षणिक इनक्युबरेटर्स खोले। कनिष्ठ, वरिष्ठ और उच्च शैक्षणिक इनक्युबरेटर्स, क्रमशः पहली से आठवीं कक्षा, नवीं से बारहवीं कक्षा स्तर और यू0जी0/पी0जी0 के विद्यार्थियों के बीच ज्ञान और शोध अभिमुखी प्रवृत्तिको श्रेष्ठतर बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विशिष्ट लक्ष्य दिये जा सकते हैं जिन्हें शोध और शिक्षण की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के फ्रेमवर्क के भीतर प्राप्त किया जाना होगा ताकि देश में क्षेत्रीय विकास को सुकर बनाने के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जा सकें। इसी प्रकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को जूनियर और इंटरमीडिएट स्तर पर सप्ताह/पखवाड़े में एक बार विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालयों में सुधार करना :–

विश्वविद्यालयों में नौकरशाही का बोलबाला है। शिक्षकों की बेहद कमी है और इन्हें तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है। ऐसे शिक्षक उन्हें किए जाने वाले तुच्छ भुगतान से शिक्षण और अनुसंधान करने में असमर्थ हैं। ये विश्वविद्यालय निर्णय लेने में स्वतंत्र नही हैं। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर थोपे गए विनियम और सभी अकादमिक सुधार एजेण्डा या तो उन पर भार–स्वरूप है अथवा इनकी उचित मानीटरिंग नहीं की जाती है। गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रत्यायन की प्रणाली है, इसके बावजूद सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा पर इसका कोई खास प्रभाव नजर नहीं आता।

उच्चतर शिक्षा से कौशल विकास को जोड़ना :–

किसी भी देश के विकास हेतु कुशल जनशक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सर्व विदित है कि व्यवसायिक शिक्षा और कौशल से व्यक्तियों की उत्पादकता, नियोक्ताओं की लाभ अर्जकता और राष्ट्रीय विकास में वृद्धि होती है। असंगठित क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने और बच्चों में स्व–रोजगार कौशल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल जनशक्ति को विकसित करना हीं व्यवसायिक शिक्षा का लक्ष्य है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने भी व्यवसायिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार और भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। नीतिगत प्राथमिकताओं और युवाओं की क्षमता के उपयोग के मद्देनजर, शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल विकास का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। शिक्षा और कौशल विकास को जोड़ने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। कौशल पाठ्यक्रमों के सुयोजन और विकास की संभावनाएं हैं।

- ✓ क्या उच्च शिक्षा में किसी भी स्तर पर प्रवेश तथा किसी भी सेमेस्टर के अंत में अस्थायी एक्जिट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए?
- ✓ क्या नियमित पाठ्यक्रम कौशल के मॉड्यूल को पात्र बनाते हैं जो नियोजनीयता में वृद्धि करते हैं?

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यचर्चा संवर्धन :–

अकेली पारम्परिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं और महत्वकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ने भारत की शिक्षा संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यह उन छात्रों को, जो अपना रोजगार नहीं छोड़ सकते या किन्हीं कारणों से नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते, के लिए मंच उपलब्ध कराती है। हमारी दूरस्थ शिक्षा पद्धति में एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नामतः इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और 14 राज्य विश्वविद्यालय है। इसके अलावा, अनेक केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय भी दूरस्थ पद्धति से पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं में 10 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए ओडीएल का विस्तार प्रस्तावित है। तथापि, दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी मुद्दे हें जो ओडीएल पद्धति में सुधार की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। माधव मेनन समिति ने देश में ओडीएल के कार्यान्वयन में कतिपय परिवर्तनों को सुझाव दिया है। तथापि यह पद्धति सामाजिक अधिगम अनुभव या छात्र की व्यक्तिगत रूप से निगरानी नहीं करती।

प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण के लिए अवसर :–

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हुए विकास ने शैक्षणिक सेवा को प्रदान करने के तरीके बदल दिए हैं। प्रौद्योगिकी संस्थागत अनुदेशों, निर्धारित अध्ययन कार्यक्रमों और शिक्षक केन्द्रित शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के दायरे से बाहर निकाल कर शिक्षा और अधिगम में समर्थ बनाती है। आईसीटी स्कूल और विश्वविद्यालयों के दायरे से बाहर शिक्षा प्राप्ति में मदद करती है। शिक्षा सेवाएं प्रदान करने की अन्य पद्धतियों के बाद ई–लर्निंग की सबसे अधिक मांग है।

कम लागत वाली एक्सेस–कम–कम्प्यूटिंग डिवाइस आकाश–2 को 11 नवम्बर 2012 को शुरू किया गया था। आई0आइ0टी0 बम्बई द्वारा एन0एम0ई0आई0सी0टी0 के तहत तैयार किए गए ए–व्यू सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए एक समय में 10000 अध्यापकों के बैच हेतु अनेक कार्यक्रम तैयार किए गये हैं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर ज्ञान प्रवाह के अभिग्रहण हेतु हमें पद्धति के उन्नयन करने की जरूरत है। विश्व स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा से संबद्ध प्रत्येक कॉलेज/विश्वविद्यालय को आधुनिक प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुविधाओं के उन्नयन की जरूरत है जो प्रशिक्षुओं को व्यापक रूप से समर्थ बना सके। निश्चित रूप से शिक्षण–अधिगम स्थल पर वाई–फाई और कम्प्यूटर सुविधाएं आवश्यक हैं।

क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान :–

भारत में शिक्षा का प्रसार क्षेत्रों और समूहों के बीच असमानताओं से भी जुड़ा हुआ है। उच्चतर शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना अधिक भागीदारी, गतिशीलता लाने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो। वस्तुतः भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रसार की प्रक्रिया में क्षेत्रीय असमानताओं की वृद्धि हुई है। राज्यों में उच्चतर शिक्षा के विकास में विद्यमान असमानताएं जी0ई0आर0 (सकल नामांकन अनुपात) में भिन्नताओं का अच्छा सूचक है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 2002–03 में 8.97% से बढ़कर 2011–12 में 20.4% हो गया।

कुछ वर्षों में नामांकन (जी0ई0आर0) में अंतः राज्यीय असमानताएं बढ़ी हैं। वर्ष 2002–03 में जम्मू और कश्मीर में जी0ई0आर0 की भिन्नता 5–0 प्रतिशत और चंडीगढ़ में 28.7 प्रतिशत रही। वर्ष 2011–12 में जी0ई0आर0 भिन्नता झारखंड में 8.4 प्रतिशत और चंडीगढ़ में 53 प्रतिशत के बीच रही। यह दर्शाता है कि वर्ष 2002–03 में जी0ई0आर0 भिन्नता में 23.7 प्रतिशत बिंदु से लेकर वर्ष 2011–12 में 44. 6 प्रतिशत बिंदु तक वृद्धि हुई।

उच्चतर शिक्षा में स्त्री–पुरूष और सामाजिक अंतराल कम करना

समावेशी उच्चतर शिक्षा के लिए स्त्री–पुरूष असामनता, शहरी–ग्रामीण, अन्तःक्षेत्रीय और अंतःसामाजिक समूह असमानताओं को सार्थक रूप में समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये। इसमें अब तक समाज के हाशिए पर रहे वर्गों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र की उच्चतर शिक्षा में सुसाध्य और प्रोत्साहक की भूमिका की आवश्यकता है। इसलिए इस नीति का प्रमुख जोर समावेशिता प्रोत्साहन पर होना चाहिए ताकि हाशिए के वर्गों के और अधिक छात्रों को उच्चतर शिक्षा की परिधि में समायोजित किया जा सके।

उच्चतर शिक्षा को समाज से जोड़ना

आजादी से हीं विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों और छात्रों की संख्या में बहुविध वृद्धि हुई है। काफी हद तक यह वृद्धि अनियोजित लगती है और नियोजन और बाहरी दुनिया के साथ शिथिल संबंधों को दर्शाती है। विभिन्न रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि नौकरियां व्यवसायिक विषयों में हैं लेकिन डिग्रीयाँ सामान्य शिक्षा में मुख्यतया कला और मानविकी में बढ़ती जा रही है। एक ओर देश की स्थिति बिडम्बना की हो गई है। विकासात्मक कार्य के लिए पर्याप्त जनशक्ति नही है तो दूसरी ओर शिक्षित युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। शैक्षिक वृद्धि का विस्तार और विविधता नौकरियों की क्षेत्रीय वृद्धि के लगभग प्रतिकूल है। सुलभता और साम्यता में सुधार के साथ–साथ इसे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए।

उत्तम शिक्षकों का निर्माण (विकास)

पढ़ाई की गुणवत्ता शिक्षकों के गुणों पर निर्भर होती है। एक मुख्य बाधा अच्छे शिक्षकों के रूप में आकर्षित करना है। निरपवाद रूप से जब कोई स्नातक रोजगार की तलाश करता है, प्राथमिकता सूची में शैक्षिण व्यवसाय ऊपर नहीं होता है। शिक्षकों को देय वेतन स्तर और सुविधाएं, जिनकी हाल में वृद्धि की गई है, अन्य क्षेत्र की तुलना में कम आकर्षक है। मेधावी छात्रों के पूल का सृजन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वे अन्ततः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करेंगे। यू0जी0सी0 शिक्षण व्यवसाय में बुद्धिमान, उत्कृष्ट और मेधावी छात्रों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए बहुत से कार्यक्रमों जैसे पुरस्कारों, छात्रवृत्तियों का प्रावधान और सम्मेलनों में भाग लेने की सुविधा आदि को वित्तपोषित कर रहा है।

शोध समान महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर बल देने की आवश्यकता है क्योंकि शोध से शिक्षक के शिक्षण स्तर और शैक्षिक विश्वसनियता में सुधार होता है। यह केवल आर एण्ड डी (अनुसंधान और विकास) गतिविधियाँ ही हैं जिनके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकता है, अपने विचारों को अधिक स्पष्ट बना सकता है, शिक्षण को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है तथा सक्रिय शोध के माध्यम से प्रकट कर सकता है। तथापि, वास्तविक आवश्यकताओं को समझे बिना शिक्षा के विदेशी तरीकों का कृत्रिम आरोपण अनुपयोगी होगा। कुल मिलाकर शिक्षकों के तैयारी का प्रयत्न हो रहा है किंतु शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षिक उन्मन हेतु शोध में अनेक घटनायें साहित्य चोरी और शिक्षण व्यवधान (Mernace) की भी हो रही है। इसे रोक–थाम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की है।[6] समस्या है गलत तरीका रूके कैसे? शिक्षक होने का मूल्यांकन शोध निबंध, शोधकार्य, पुस्तकें हैं। यह ध्यान दिलाना उचित होगा कि कोई एक–दो मौलिक रचना कर सकता है किंतु शिक्षक के कैरियर मापन के लिए यह अपर्याप्त है। फिर चोरी कैसे रूके? सही मामले में चोरी की दुकानें खुल गई हैं।[7]

उच्चतर शिक्षा में छात्र–सहायता प्रणाली को बनाए रखना

भारत, संसार के सबसे कम आयु वाली जनसंख्या का घर है – जिसमें 600 मिलियन नवयुवक 25 वर्ष से कम आयु के हैं। छात्र ऋण उत्तरोत्तर लोकप्रिय होते जा रहे हैं, परन्तु बड़े पैमाने पर इन्हें भी उच्चतर शिक्षा के छात्रों की मनोवृत्ति पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव और उच्चतर शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और वे मूल्य जो ये ऋण छात्रों के मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं, इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा के व्यवसायिकरण में ये ऋण जो प्रबल भूमिका निभाते हैं उसकी ऋण कार्यक्रम के विस्तार के पूर्व जाँच–पड़ताल आवश्यक है।

एक विश्वविद्यालय में छात्र–सहायता प्रणाली के लिए अच्छी अवसंरचना जैसे – कॉमन रूम, मनोरंजन सुविधाएं, परामर्श केन्द्र, छात्र शिकायत निवारण सुविधाएं, आर्थिक सहायता से संबंधित छात्र सहायता प्रवेश के समय ऋण, अल्पकालिक ऋण, नवाचार निधि/पुरस्कार और निरंतर समावेशी सहायता जिनमें वंचित सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्र और राज्य स्तरों पर छात्रों की आर्थिक सहायता से संबंधित अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। परन्तु, प्रश्न यह है कि क्या इन योजनाओं से लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। मौजूदा योजनाओं

पर कुछ महत्वपूर्ण विचार आमंत्रित किये जाते हैं और वे कौन से परिवर्तन आवश्यक हैं जिनसे हमारे छात्रों की आर्थिक सहायता प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार होगा ताकि, शिक्षण का आकांक्षी प्रत्येक छात्र उच्चतर शिक्षा में प्रवेश कर सके।

भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना

इन सब में भाषा की भूमिका का प्राथमिक महत्व है। यदि भाषा, एक ओर हमारी सोचने की प्रक्रिया की संरचना करती है, तो दूसरी ओर यह हमें मुक्त करती है तथा ज्ञान और कल्पना के अज्ञान क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ाती है। बहुभाषावाद भारतीय पहचान का सार है। यहां तक कि एक दूरस्थ गांव में जिसे तथाकथित एकभाषी कहा जाता है वह प्रायः एक मौखिक प्रदर्शनी की सूची रखता है जो बड़ी संख्या में मिलनसार अभिव्यक्ति पर पर्याप्त कार्य के लिए इसे सुसज्जित रखता है। वास्तव में, भारतीय आवाजों की बहुलता, भारतीय भाषाई और सामाजिक भाषाई मैट्रिक्स में एक दूसरे के साथ सूचना का आदान–प्रदान करती है जो भाषाई और सामाजिक भाषाई विशेषताओं की साझा विविधता पर बनाई जाती है।

निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी का अर्थ

निजी क्षेत्र भागीदारी को आरक्षण और सकारात्मक कार्यवाही के संबंध में सरकारी नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से पी0पी0पी0 प्रणाली के तहत स्थापित संस्थायें बिलकुल दाखिला प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जिसके द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा की कीमत को जुटाने की असमर्थता के कारण किसी को भी दाखिले में मना नहीं किया जाए। उदार छात्रवृत्ति प्रावधान, छात्र ऋण और ब्याज सब्सिडी योजना को उच्चतर शिक्षा में निजी भागीदारी बनाने के लिए गुंजाइश के रूप में सोचा जा सकता है। यह नोट करना आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी का अर्थ शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायिकरण और अधोगति नही है बल्कि यह मेरिट अच्छी होने के कारण शिक्षा के समग्र कार्य ढांचे के भीतर निर्णय करने में निजी निवेश और भागीदारी करने की संभावनाओं की खोज करता है, जबकि सरकार सभी के लिए गुणवत्तापरक उच्चतर और तकनीकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से जिम्मेवार है। इस प्रकार, पी0पी0पी0 पद्धति के तहत, उत्कृष्टता, सामाजिक न्याय, समावेश के साथ महिला, पुरूष, क्षेत्रीय और सामाजिक समूह की असमानताओं को दूर करना के पोषित राष्ट्रीय लक्ष्य, सिद्धांतों का मार्गदर्शन करने के लिए सतत रहेगी।

उच्चतर शिक्षा का वित्तपोषण

12वीं योजना का दृष्टिकोण पत्र यह उल्लेख करता है कि सभी सरकारी शिक्षा का लगभग 18% खर्च हो रहा है या आज जीडीपी का लगभग 1.12% उच्चतर शिक्षा पर खर्च किया जाता है। यह क्रमशः 25% और 1.5% तक बढ़ाना चाहिए। जीडीपी के 0.38% की बढ़ोत्तरी का अर्थ केन्द्र और राज्य दोनों को शामिल करके उच्चतर शिक्षा के लगभग 25000 करोड़ रूप्ए का अतिरिक्त आवंटन है। इसे बार–बार दोहराया गया है कि हम जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करें।

संघ (केन्द्र) और राज्य सरकार के बीच भारत में उच्चतर शिक्षा के निधियन में जिम्मेवारियों की उचित साझेदारी होनी चाहिए। जबकि केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यू0जी0सी0 निधियों के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सम्पूर्ण निधि देती है, केवल राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों का व्यय विकास संघ सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

उच्चतर शिक्षा का वैश्वीकरण

वैश्वीकरण का परिणाम है बार्डर पार उच्चतर शिक्षा तक अधिक पहुंच। तथापि, एक अच्छी नीति की आवश्यकता है जो सहयोगों, छात्र संकाय गतिशीलता इत्यादि को प्रोत्साहित करती है। अन्तर्राष्ट्रीयकरण के दो स्वरूप हैं : एक परम्परागत और दूसरा आधुनिक। परम्परागत स्वरूप कोर शैक्षिक मूल्यों पर बल देता है जबकि आधुनिक क्रियात्मक भागों के रूप में निर्यात–आयात और आर्थिक लाभों सहित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कार्य ढांचे में शिक्षा पर मुख्यतया ध्यान देने की ओर अग्रसर होता है। हमारे विश्वविद्यालयों परिसरों में विदेशों से उत्तम मेधावी छात्रों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जाने हैं। इस संबंध में मेरिट मुख्य महत्व होना चाहिए। यह देखना आनिवार्य है कि विदेशी छात्रों को

राजस्व प्राप्त करने के स्रोत के रूप में न देखा जाए अपितु अध्ययन वातावरण बढ़ाने के स्रोत के रूप में देखा जाए।

नियोजनीयता से शिक्षा को जोड़ने के लिए उद्योग के साथ विनियोजन

भारत जहां एक उच्चतर शिक्षा स्नातकों की अधिक आपूर्ति के विशिष्ट मामले प्रस्तुत करता है वहीं दूसरी ओर उत्पादन क्षेत्र में भावी कर्मचारियों की अनुपलब्धता समझता है। ऐसे बेमेल का मूल आधार श्रम बाजार में प्रदत्त कौशल और अपेक्षित कौशल के बीच का अंतर है। यद्यपि भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है लेकिन, स्नातकों की नियोजनीयता आज देश में सामना की जा रही बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में अक्सर उद्धृत की जाती है।

अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोन्नत करना

सरकार विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचरों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा सकती है। प्रचुर कलाओं में अनुसंधान एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रोन्नति करना जिसमें अंतःविषयक अनुसंधान भी महत्वपूर्ण है। अनुसंधान आगे बढ़ाने के लिए सर्जनात्मक सहायक परिस्थितियों के लिए सरकार की सहायता की जरूरत है। सरकार से आर एण्ड डी कार्यकलापों के लिए अपने आवंटनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्थागत स्तर पर शिक्षण अनुसंधान से जोड़ने की जरूरत है। सरकार को संकाय विकास में निवेश करने और अनुसंधान में संस्थाओं के बीच सहयोगी प्रयासों को प्रोन्नत करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।

नया ज्ञान

ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा और कौशल सम्पन्न मानव संसाधन को महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि केवल मानव संसाधनों द्वारा ही ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। जो बाद में ज्ञान को ठोस उत्पादों मार्केट लिए प्रौद्योगिकी, सामान एवं सेवाओं के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए शिक्षित एवं कौशल कार्यबल से भरपूर किसी देश में उन्नति बढ़ाने के लिए उत्पाद प्रचार–प्रसार उसे ज्ञान के अनुकूल बनाने की बहुत संभावनाएं होती हैं। यह इसी कारण से है कि 18–24 आयु वर्ग के शिक्षित युवा ज्ञान के लाभ प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचकांका है।

ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं ने अंर्तनिर्भरता बढ़ाई है। एकाकीपन में रहना कठिन है। अतः कोई देश जो अपनी गतिकी को समझता है, उचित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने पक्ष में ज्ञान अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने में समर्थ होना चाहिए। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, कार्यक्रमों, शैक्षिक संस्थाओं और सहयोग की सचलता के साथ उपयुक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि मेधा को आकर्षित एवं बनाए रखा जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत 2016, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ0 214
2. वही, पृ0 282
3. नई शिक्षा नीति 2016 के निमित्त प्रकाशित दस्तावेज प्रारूप, इंटरनेट।
4. वही
5. भारत 2016, पूर्वोक्त, पृ0 282
6- See Public Notice of UGC No. F.1-18/2010 (CPP-II) 1st Sept. 2017.